मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं.120*

13 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

शहरी अवसंरचना में निजी निवेश की आवश्यकता

***120# श्री कार्तिकेय शर्मा**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरों की अवसंरचना को विकसित करने के लिए निजी निवेश की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में इस संबंध में कोई योजना बनाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा शहरी अवसंरचना को विकसित करने के लिए कौन-सी सार्वजनिक योजनाएं बनाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार शहरी अवसंरचना को विकसित करने में पीपीपी मोड में भागीदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य मंत्री</u>

(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

'शहरी अवसंरचना में निजी निवेश की आवश्यकता' के संबंध में 13 फरवरी, 2023 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 120 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ): शहरी अवसंरचना विकास राज्य का विषय है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपने प्रमुख मिशनों/योजनाओं अर्थात अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0, स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) और शहरी परिवहन परियोजनाओं के माध्यम से इस एजेंडे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुविधा और सहायता प्रदान करता है। शहरी अवसंरचना का वित्त पोषण बजटीय सहायता और सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित वित्त के अन्य सार्वजनिक और निजी स्रोतों के माध्यम से किया जाता है।

शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण के साधन के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी को नीचे दिए गए सभी मिशन दिशा-निर्देशों के तहत कवर किया गया है:

i. अमृत 2.0 दिशा-निर्देशों में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को अपनी परियोजनाओं का 10% सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में लेने का अधिदेश दिया गया है।

ii. स्मार्ट सिटीज मिशन 100 स्मार्ट शहरों में पीपीपी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए बढ़ावा देता है। यदि भारत सरकार की निधियां और राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा निधियों का समान योगदान परियोजना लागत का केवल एक हिस्सा पूरा करते हैं, तो शेष धनराशि पीपीपी सहित अन्य स्रोतों से जुटाए जाने की उम्मीद की जाती है।

iii. स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0, शहरी अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के विकल्प की खोज को प्रोत्साहित करता है, जिसे संबंधित राज्य सरकार या शहरी स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

iv. प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) 'सभी के लिए आवास' मिशन साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी) और स्व-स्थाने स्लम विकास घटकों में आवास निर्माण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत सरकार द्वारा वित्तपोषित निर्मित खाली पड़े आवासों का उपयोग करने और सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को यदि उनके पास खाली जमीन उपलब्ध है, तो उन्हें किफायती किराया आवास का स्टॉक बनाने हेतु निवेश का लाभ उठाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 31/07/2020 को पीएमएवाई-यू के तहत एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) की शुरुआत की गई थी।

v. मेट्रो रेल नीति 2017 सार्वजनिक और निजी संसाधनों, विशेषज्ञता और उद्यमिता दोनों का लाभ उठाने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। नीति के अनुसार, आगामी मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त करने की इच्छुक राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव, किराया संग्रह या प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना की किसी अन्य गतिविधियों के किसी न किसी रूप से सार्वजनिक निजी भागीदारी की संभावना का अनिवार्य रूप से पता लगाया जाना चाहिए।

*****